संख्या 27/02/2012-SRS
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग)

तृतीय तल, लोक नायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली
दिनांक : 22 जून, 2012

सेवा में,

1. मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश सरकार
लखनऊ

2. मुख्य सचिव
उत्तराखंड सरकार,
देहारादून

विषय: रिट याचिका संख्या 179/11 में माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 07-07-2011 के आदेश के अनुपालन में सुश्री रीता मैरी सिन्हा, उपचारिका के प्रत्यावेदन पर विचार ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 07-07-2011 के आदेश द्वारा सुश्री रीता मैरी सिन्हा, उपचारिका के प्रत्यावेदन को इस आदेश के साथ निपटान किया गया कि भारत सरकार द्वारा याची के विकल्प पर पुनर्विचार किया जाये तथा नियमानुसार इसका निस्तारण किया जाये ।

2. माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में परामर्शी समिति द्वारा दिनांक 09-02-2012 को आयोजित बेठक में प्रकरण पर विचार किया गया । सुश्री रीता मैरी सिन्हा के संबंध में संबन्धित विभाग द्वारा अवगत करवाया गया कि उनके द्वारा विकल्प दिनांक 17.11.2000 को प्रस्तुत किया गया था, जो विभाग में सक्षम स्तर को दिनांक 23.12.2000 को प्राप्त हुआ था । माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के क्रम में समिति द्वारा उनके द्वारा समयान्तर्गत दिये गए विकल्प एवं महिला कार्मिकों होने के कारण तथा महिला कर्मियों को उनके विकल्प के आधार पर राज्य चयन की सुविधा के दृष्टिगत, उन्हे उत्तराखंड राज्य आवंटन की संस्तुति की गयी ।

3. भारत सरकार समिति की संस्तुति से सहमत है तथा तदनुसार सुश्री रीता मैरी सिन्हा, उपचारिका का अंतिम आवंटन उत्तराखंड राज्य के लिए संशोधित किया जाता है । संबन्धित कार्मिक से स्थिति के बारे में अवगत करवा दिया जाए ।

भवदीय,
(सारंगधर नायक)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि:-

1. श्री प्रशांत त्रिवेदी, सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन समन्वय विभाग, 47, नवीन भवन, सचिवालय, लखनऊ -226001 ।
2. अपर सचिव(स्वतंत्र प्रभार), पुनर्गठन विभाग, उत्तराखंड सरकार, देहारादून ।

कार्मिक ... Deptt. of P... प्राप्ति और निर्गम ... Receipt & Issue Sec. 22 ... जारी ...